चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन मे अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 43 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i).उ0नि0 श्री किशन कुमार थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी आनन्द प्रताप, आरक्षी सचिन यादव, महिला आरक्षी गुड़िया सिंह द्वारा अभियुक्त राजकरन पुत्र सुन्दर निवासी भंभौर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 23 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii).उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही संजीव कुमार द्वारा अभियुक्त इबराज पुत्र जुम्मन खां निवासी छोटा इमामबाड़ा कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में उ0नि0 एलआईयू श्री शिव सागर तिवारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण, सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत जनपद के सभी 06 परीक्षा केंद्रों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान परीक्षा केन्द्र सीआईसी, जीजीआईसी, गंगा प्रसाद इण्टर कालेज, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया, जगद्गुरु दिव्यांग राज्य महाविद्यालय सीतापुर, सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज सीतापुर को स्थलीय भ्रमण कर सघन चेकिंग की गयी।

(5). आज दिनाँक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में चल रही द्वितीय चरण की उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु प्रथम पाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र 1.जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य राजकीय दिव्यांग विश्वविद्यालय 2. सेठ राधा कृष्ण पोद्दार इण्टर कॉलेज सीतापुर 3.गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेडी पुलिया 4. गंगा प्रसाद इण्टर कॉलेज 5. चित्रकूट इण्टर कॉलेज 6. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज का औचक निरीक्षक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात अधि0/कर्मचारीगण को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किय़ा गया।
भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह,पुलिस केन्द्र प्रभारी व पीआरओ प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनाँक 30.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा जनपद में चल रही द्वितीय चरण की उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु प्रथम पाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र 1. जनसेवा इण्टर कॉलेज 2. चित्रकूट इण्टर कॉलेज 3. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज का औचक निरीक्षक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात अधि0/कर्मचारीगण को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किय़ा गया।
भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,पुलिस केन्द्र प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

(8). आज दिनाँक-30.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के संचालन, महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं से खान-पान आदि के बारे में जानकारी की तथा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार दूरभाष पर बात भी कराते रहें । हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदियों की खाना तलाशी कराकर अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कैदियों को मीनू के अनुसार खान-पान की व्यवस्था रहे। निरुद्ध कैदियों के लिए आरो पानी की सप्लाई, रसोईघर का निरीक्षण करते हुये जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कैदियों को जो सुविधाएं अनुमन्य है उसी के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(9). आज दिनाँक 30.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा चौकी जिला कारागार रगौली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा कार्यालय,चौकी प्रभारी कक्ष,आवासीय परिसर का भ्रमण कर तथा चौकी परिसर की साफ सफाई हेतु सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
तत्पश्चात जिला कारागार में ड्यूटीरत पीएसी बल के आवासीय परिसर,भोजनालय कक्ष का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी सतीश यादव, आरक्षी संदीप लोधी,महिला आरक्षी प्रीति पाठक द्वारा मु0अ0सं0 107/24 धारा 80(2),85,115(2),352,351(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त रामनिहोर पुत्र स्व0 नत्थू व अभियुक्ता मैकी पत्नी रामनिहोर निवासीगण रेही पुरवा मजरा इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(11). आज दिनाँक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में चल रही द्वितीय चरण की उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु द्वितीय पाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कॉलेज का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात अधि0/कर्मचारीगण को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।
इस दौरान उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(12). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2022 धारा 498ए,306 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कृष्णदत्त उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र देशराज मिश्रा निवासी पचोखर थाना पहाड़ी जनपद जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.01.2022 को वादी श्री रामनाथ तिवारी पुत्र बाबूलाल निवासी सांढा थाना मरका जनपद बांदा द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि उनकी बहिन कविता उर्फ सविता को दहेज की मांग पूरी न होने पर कृष्णदत्त उर्फ छोटू मिश्रा उपरोक्त द्वारा जलाकर मार दिया है घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 155/2021 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम पति कृष्णदत्त उर्फ छोटू मिश्रा पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिवप्रकाश सोनकर द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 16.02.2022 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 27.03.2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए,,306 भादवि0 के अन्तर्गत दण्डित किया गया।

(13). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त विनोद यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी पथरा थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।